

13/11/19

पत्रावली पेशद्वारे वारी अधिवक्ता ने पत्रावली
काजमी तलब करे हेतु प्रिपेटु प्रार्थना पत्र पेश किया
जो स्वीकार किया जाता है वारी अधिवक्ता ने
आदेश 23 निम्न । सपब्लि धारा 151 CPC
को प्रार्थना पत्र पर कर निर्वहन किया कि
जलती वरा मृतक के विरुद्ध वाद पेश कर
दिया था इस लिये मृतक के वारीसानो के
विरुद्ध वाद पेश करने की छुट के साथ वाद
विही करे की प्रार्थना की अधिवक्ता वारी का
प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाती है व प्रतिकारी
के विधिक वारीसानो के विरुद्ध नया वाद
पेश करने की छुट के साथ भोजपुरा वाद
जारी विहील निस्तारीत किया जाता है

34200
उपस्थित ~~अधिवक्ता~~ अतिथीरी
जोधपुर

